न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 78/2022

उनवान

1. श्री माधु पिता दल्ला गाडरी निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
2. श्री देवीलाल पिता कालु गाडरी निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
3. श्रीमती नारायणी पत्नि कालु गाडरी निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
4. श्रीमती पतासी पुत्री कालु गाडरी निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नि मथुरालाल रेगर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
2. श्री बसन्तसिंह पिता लालसिंह निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
3. श्री चन्द्रकंवर पत्नि लालसिंह निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
4. श्री हरिसिंह पिता भैरू सिंह निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
5. श्री लेहरू पिता भैरू गाडरी निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
6. श्री लक्ष्मण पिता उदा गाडरी निवासी औज्याडा तह हमीरगढ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02.08.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम औज्याडा प.ह. ओज्याडा भू0अ0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 537 की कृषि भूमि की आ0न0 2366/2024 रकबा 0.7587है0, आ0न0 2019/2 रकबा 1.7324है0, आ0न0 2181/2017 रकबा 0.3920है0 कुल किता 03 रकबा 2.8831 है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:05:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ [illegible] दिये जाते है **ग्राम औज्याडा प.ह. ओज्याडा भू0अ0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उस[illegible] खाते [illegible] खाता संख्या 537 की कृषि भूमि की आ0न0 2366/2024 रकबा 0.75[illegible]है0, आ0न0 2019/[illegible] 1.7324है0, आ0न0 2181/2017 रकबा 0.3920है0 कुल किता 03 रकबा 2.8831 है0** [illegible]की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अ[illegible] की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/—रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (भीलवाडा)